संख्या-130/2019/यू.ओ.(जी.)-26/पांच-6-19

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 15 मई, 2019

विषय:-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के केस संख्या-47117/24/47/2015 (श्री चन्द्रशेखर सैनी पुत्र हरीराम सैनी, जनपद-ललितपुर) को आदेश दिनांक 26.10.2018 के अनुपालन में रू0-25000/- मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9फ/मा0रा0मा0अधि0आयोग/2019/140, दिनांक 28.03.2018 के अनुक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में दर्ज केस संख्या-47117/24/47/2015 (श्री चन्द्रशेखर सैनी पुत्र हरीराम सैनी, जनपद-ललितपुर) में पारित आदेश दिनांक 26.10.2018 के अनुपालन में अन्तरित राहत दिये जाने हेतु धनराशि रू0-25000/- (रूपया पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय व 2019-2020 में अनुदान संख्या-32 लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (एलोपैथी विभाग) (आयोजनेत्तर पक्ष) 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-10

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय 42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किया जा रहे हैं।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-130/2019/यू.ओ.(जी.)-26(1)/पॉच-6-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/कोषागार द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
8. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
9. विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,
हरनाम
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।